उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-105/2019/1608/92-2-2019-81जांच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मिर्जापुर में आई0ए0पी0 योजनान्तर्गत व पूर्वान्चल विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के अंतर्गत निर्मित कराये गये कतिपय सम्पर्क मार्गो/सी0सी0 रोडों आदि के निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति में से रू0 10,954.25 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति सहायक अभियंता, प्रखण्ड-चन्दौली को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आजमगढ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-105/2019/1608(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-2393/ ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/व्य0प0/पत्रा0-266/18-19 दि0 05.03.2019 के क्रम में।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0 विभाग, परि0-आजमगढ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र इस आशय से प्रेषित कि आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री पाण्डेय को तामील कराते हुये तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-मिर्जापुर।

4- श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सहायक अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-चन्दौली द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in